भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 57631

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: बरौना
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–203

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 57632

5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.2155 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	: सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
9.	पेड़ों का मूल्यांकन	कुछ नहीं
10.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: कुछ भी नहीं
11.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 16,60,465/-
12.	मालियत	रू0 5,81,850/-
13.	स्टाम्प	: रू0 1,16,300/-

नि० अं० [illegible]

नि० अं० सोनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा न0–203

पूरब	: खसरा संख्या–198
पश्चिम	: खसरा संख्या–205
उत्तर	: खसरा संख्या–199 व 202
दक्षिण	: खसरा संख्या–215 व 216

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865587

-4-

प्रथम पक्ष की संख्या-01	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
विक्रेता का विवरण	: क्रेता का विवरण
संकटा पुत्र राम दुलारे निवासी-ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय-कृषि	धोनी पुत्र श्री देवी दयाल निवासी-ग्राम-मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय-कृषि

नि॰ अं॰ धोनी

नि॰ अं॰ संकटा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865585

31 JAN 20

TRY. LKO

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख संकटा पुत्र राम दुलारे निवासी–ग्राम बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम्

नि० अ० संकटा

नि० अ० धोबी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865586

धोनी पुत्र श्री देवी दयाल निवासी-ग्राम-मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट -नौगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या-203, कुल रकबा 0.4310 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि विक्रीत रकबा 0.2155 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865591

लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है जो विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है, तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता खतौनी क्रम संख्या-00519 के अनुसार विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से

नि० अ० [illegible]

नि० अ० [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865592

ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरून्त खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोडे किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 16,60,465/- (रूपया सोलह लाख साठ हजार चार सौ पैंसठ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865593

मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से बसूखी करा दिया। अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865589

दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865988

51 ... 20

वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवे।

नि० अ० [illegible]

नि० अ० सोनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 865590

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

नि० अ० सुमेरा

नि० अ० छोटी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 443455

आराजी स्थित ग्राम-बरौना, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 27,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.2155 हेक्टेअर की मालियत रू0 5,81,850/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 563052

नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क रू0 1,16,300/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 4201 25 JAN 2012

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

विवरण भुगतान

विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 16,60,465/- (रुपया सोलह लाख साठ हजार चार सौ पैंसठ मात्र) जरिये चेक

विक्रय पत्र

1,660,445.00 /	552,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री राजकुमार
पुत्र श्री राम दुलारे
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थि[illegible] ग्राम कठौता बिजनौर लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/2/2012 समय 2:00PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के.द्विवेदी
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
7/2/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री राजकुमार
पुत्र श्री राम दुलारे
पेशा कृषि
निवासी ग्राम कठौता बिजनौर लखनऊ

क्रेता

श्री भोले
पुत्र श्री देवी दयाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मिर्जापुर [illegible] जिला फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पंकज पाठक
पुत्र श्री हरी शंकर पाठक
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग लखनऊ
व श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी चौधरी खेड़ा कठौता लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के.द्विवेदी
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
7/2/2012

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संख्या-485726, दिनाक-17.02.2012, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विक्रेता

Registration No: 2237 Year: 2,012 Book No: 1

0101 विक्रेता

1 राम कुमारी

[illegible]

कृते

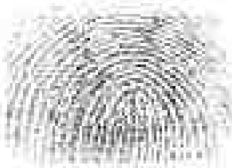

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-16पर चेक संख्या व दिनांक काले पेन से लिखी गई है।

दिनांक:-07.02.2012

लखनऊ

गवाहान:-

1.

(पंकज पाठक)

पुत्र श्री हरी शंकर पाठक,

निवासी-लालबाग, लखनऊ

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता :

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता :

(विश्वनाथ यादव)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, लखनऊ

लेनी

Registration No.: 2257 Year: 2,012 Book No.: 1

0201 पोनी

पति अशोक

ग्राम [illegible]

कृषि

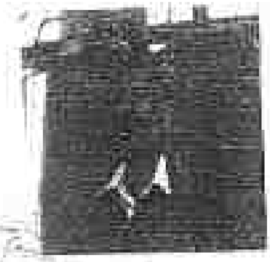

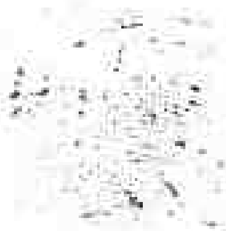

ग्राम → कैरौना

अरवमा खत → 203

रकबा → .2155 Hect.

आज दिनांक 07/02/2012 को

बही सं 1 जिल्द सं 13783

पृष्ठ सं 265 से 300 पर क्रमांक 2257

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

7/2/2012